

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 28)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर
हीरालाल पुत्र रूधनाथराम जाति गुर्जर वगै.
सा. जीजोट तह. नावां

बनाम

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
पार्वती पुत्री सायरमल जाति गुर्जर वगै.
सा. जीजोट तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए

मुकदमां नम्बर 0198/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुआ
12.11.2021	<p>प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद सिंह राठौड़ ने इसी अनुवान के वाद पत्र के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी राजेश कुमार पुत्र सायरराम जाति गुर्जर निवासी जीजोट ने केवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (ए) सी.पी.सी. पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता केवियटकर्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण के जवाब पेश करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम जीजोट के खसरा नम्बर 26 रकबा 0.010 हैक्टर, खसरा नम्बर 27 रकबा 7.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 772/24 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि में वाद पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शा में अंकित प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी व निर्माण/ट्यूबेल नहीं करें एवं प्रार्थीगण की उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्रावधान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 15.12.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>30/10/21 पत्रावली अदालत "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021" कैंप कोर्ट/ग्राम पंचायत भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केंद्र में आज पेश हुई। अधिवक्ता पार्वी/प्रतिवादी हाजीर/गैर हाजीर; अधिवक्ता वार्दी/प्रतिवादीगण हाजीर/गैर हाजीर, पत्रावली के मुख्य राजीनामा नहीं हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक 22/12/22 को पेश हो।</p> <p>15/12/21 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार वधारे हैं पत्रावली दिनांक 22/12/22 को पेश हो।</p> <p>22/12/22 अधिवक्ता पार्वी उपोप. तानीम/अहम तानीम नौदर पत्र नहीं देकर पत्रावली दि- 20/12/22 को पेश हो।</p>	



तारीख हुक्म

20/4/22

उपपक्ष उपपक्ष काका की लम्बी पेश की
क्रि.दि 28/6/22 को पेश हो

Om

28/6/22

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
वधारे हे पत्रावली दिनांक 21/8/22
को पेश हो।

SR

31/8/22

अश्विक्ता प्राची उपपक्ष पूर्व शलेश की पालना
कने हे दु दिवाण ही गरी क्रि.दि
12/10/22 को पेश हो

Om

12/10/22

अश्विक्ता प्राची उपपक्ष काका की लम्बी
पेश कने हे दु दिवाण ही गरी क्रि.दि
19/12/22 को पेश हो

Om

19/12/22

अश्विक्ता प्राची उपपक्ष पूर्व शलेश की पालना
कने हे दु अंतिम दिवाण ही गरी क्रि
दि 27/2/23 को पेश हो

27/2/23

पत्रावली पेश हुई। नवीन वार अध्यक्ष
के द्वारा पेश
है। पत्रावली
को पेश हो।

SR

25/9/23

पत्रावली अदालत प्रशासन गांवों के संग
अभियंता केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (जि.प्रा.सं.)
में आज पेश की। पक्षकारान् वादी / प्रतिवादी
हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् वादी / प्रतिवादी
हाजीर / गैर हाजीर। पक्षकारान् के माध्य राजीनामा
नही हुआ। पत्रावली पुनः न्यायालय में दिनांक
17/8/23 को पेश हो।

SR

17/8/23

पत्रावली पेश हुई। पकील बार अप्यस
के द्वारा आज कार्य का स्थगन रखा
है। पत्रावली दिनांक 8/11/23
को पेश हो।

SR

8/11/23

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे है पत्रावली दिनांक 22/11/24
को पेश हो।

SR

22/1/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. पीठासीन
अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार
बधारे है पत्रावली दिनांक 8/2/24
को पेश हो।

SR

8/2/24 पत्रावली पेश हुई। भ्रष्टि वक्ता प्रार्थी व प्रार्थी
स्वयं को बार-बार आवाज किताई गई जिसके
बावजूद भी अनुपस्थित रहे हैं।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अकम हाजरी
व अकम पंजी में खालि किया जाना
है। पत्रावली के सल शुमार होकर नम्बर
ले कम हो व खालि करार हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)